राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 18.01.2021

अधिसूचना

विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 की निरन्तरता में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.11.2020 के द्वारा निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड–19 की आरटी–पीसीआर जांच की अधिकतम दर 800/– रूपए प्रति जांच निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात देश में आरटी–पीसीआर टेस्टिंग किट रीएजेन्ट्स, वी. टी. एम. किट तथा अन्य उपभोग्य (Consumables) की कीमतों में गिरावट एवं सहज उपलब्धता तथा आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों एवं विषय–विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श उपरान्त तथा अन्य राज्यों द्वारा कोविड–19 की आरटी–पीसीआर जांच हेतु निर्धारित की गई दरों को ध्यान में रखते हुए **राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में NABL मान्यता प्राप्त (Accreditated) एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड–19 की आरटी–पीसीआर जांच की अधिकतम दर 500/– रूपए प्रति जांच (जीएसटी/सभी कर सहित) निर्धारित की जाती है।**

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

कोविड–19 की आरटी–पीसीआर जांच की उक्त निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 5 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राज. को प्रेषित कर निवेदन है कि उनके जिले में स्थित निजी NABL Accreditated एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन राज.
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि उनके जिले में स्थित निजी NABL Accreditated एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करावें।
15. राज्य सरकार द्वारा आरटी–पीसीआर जांच के लिए अनुमोदित समस्त निजी प्रयोगशालाऐं

शासन उप सचिव